अनुदान संख्या 22 – रक्षा पेंशन
GRANT No. 22 - DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*2,69,00*	*2,24,78*	*-44,22*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*23,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	85737,31,00	94997,54,00	91997,33,41	-3000,20,59
पूरक	Supplementary	9260,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नानुसार हुईं/हुआः–

(I) *₹ 1.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹69.95 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 70 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें *₹ 82.15 लाख* के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं जो एक शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत *विनियोग* का 75 प्रतिशत थीं।

3. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹300020.59 लाख) मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹926023.00 लाख के पूरक अनुदान का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *₹1.00 lakh* remained wholly unutilised under one head.

(II) Under one head saving of *₹69.95 lakhs* occurred constituting 70 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. The above savings were offset by an excess of *₹ 82.15 lakhs* under one head constituting 75 percent of the sanctioned *appropriation*.

3. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹300020.59 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grant of ₹926023.00 lakhs obtained in March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईंः—

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	8573731.00	9499754.00	9199733.41	-300020.59
पू.	S.	926023.00			

(I) "रक्षा" के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः—

(का) "रक्षा" —

(क) "छुट्टी नकदीकरण" — ₹268855.58 लाख के मूल प्रावधान को ₹16922.77 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹285778.35 लाख कर दिया गया, जो तथापि, ₹13145.93 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा— विविध पीसीडीए/सीडीए द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी होने के कारण थे।

(ख) "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" — ₹7441523.42 लाख के मूल प्रावधान को ₹644715.23 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8086238.65 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹250428.29 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(I) Supplementary grant obtained under "Defence" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Army" -

(a) "Leave Encashment" - the original provision of ₹268855.58 lakhs was augmented to ₹285778.35 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹16922.77 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹13145.93 lakhs - due to requirement of less funds by various PCsDA/CsDA and less leave at the credit of retirees.

(b) "Pension and other Retirement Benefits"- the original provision of ₹7441523.42 lakhs was augmented to ₹8086238.65 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹644715.23 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹250428.29 lakhs;

(खा) "नौ सेना– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" – ₹301522.33 लाख के मूल प्रावधान को ₹86812.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹388334.33 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹10107.29 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(B) "Navy - Pension and other Retirement Benefits" - the original provision of ₹301522.33 lakhs was augmented to ₹388334.33 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹86812.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹10107.29 lakhs; and

(गा) "वायु सेना" –

(C) "Air Force" -

(क) "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" – ₹475816.86 लाख के मूल प्रावधान को ₹167994.90 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹643811.76 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹21012.45 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Pension and other Retirement Benefits"- the original provision of ₹475816.86 lakhs was augmented to ₹643811.76 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹167994.90 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹21012.45 lakhs.

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने, संशोधित आदेशों का आंशिक कार्यान्वयन होने, पिछले वर्षों की नामावलियाँ की प्राप्ति न होने और विविध महालेखाकारों द्वारा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less number of retirees, partial implementation of revision orders, non-receipt of previous year's pending scrolls and non-submission of re-imbursement claims by various Accountant Generals.

(ख) "छुट्टी नकदीकरण" – ₹53725.14 लाख के मूल प्रावधान को ₹9483.10 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹63208.24 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹134.20 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा – विविध पीसीएसडीए/सीएसडीए द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी होने के कारण थे।

(b) "Leave Encashment" - the original provision of ₹53725.14 lakhs was augmented to ₹63208.24 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9483.10 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹134.20 lakhs - due to requirement of less funds by various PCsDA/CsDA and less leave at the credit of retirees.

(II) "रक्षा" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under "Defence" - savings occurred under the following heads:-

(का) "थल सेना – पुरस्कार" – ₹2454.45 लाख की बचत (₹3453.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदकों/नकद पुरस्कार संबंधी संशोधित प्रस्ताव भेजे जाने के कारण हुई।

(A) "Army - Rewards" - saving of ₹2454.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3453.00 lakhs) was due to revised projection for medals/cash award.

(खा) "नौ सेना – छुट्टी नकदीकरण" – ₹2737.11 लाख की बचत (₹28829.67 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(B) "Navy - Leave Encashment" - saving of ₹2737.11 lakhs (against the sanctioned provision of

सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने, अनुशासनिक कार्रवाई की वजह से छुट्टी नकदीकरण को रोक लिए जाने और सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी होने के कारण हुई।

₹28829.67 lakhs) was due to less number of retirees, withholding of leave encashment owing to disciplinary actions and less leave at the credit of retirees.